

तेलंगाणा सरकार की नई EV नीति

❖ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में रविवार (17 नवंबर) को तेलंगाणा सरकार ने अपने स्वच्छ हवा, पर्यावरण स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के प्रयासों के तहत एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV, Electric Vehicle) नीति लाई है।
- नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी करते हुए तेलंगाणा के राज्य परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाणा की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति हैदराबाद और तेलंगाणा के अन्य स्थानों को नई दिल्ली की तरह गंभीर प्रदूषण के मुद्दों का सामना करने से बचाएगी।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB, Central Pollution Control Board) के अनुसार 18 नवंबर को शाम 4 बजे हवा की गुणवत्ता 123 थी, जो मध्यम श्रेणी में आती है जबकि नई दिल्ली में इसी समय हवा की गुणवत्ता चार गुना खराब यानि 494 थी, जो गंभीर प्लस श्रेणी में थी।
- तेलंगाणा सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति सोमवार 18 नवंबर को लागू हो गई है।
- इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य तेलंगाणा में खासकर हैदराबाद और उसके आसपास वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।



❖ तेलंगाणा की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रमुख विशेषता क्या है ?

- इस नीति के लागू होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर 2026 तक 2 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% की छूट की घोषणा की गई है।
- इससे पहले प्रथम 5000 इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीयन शुल्क पर छूट की पिछली सीमा हटा दी गई है।

- नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत रोड टैक्स के साथ पंजीकरण शुल्क की छूट के लिए ईवी (EV) की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।
- रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट दोपहिया, चार पहिया, टैक्सी और पर्यटक कैब जैसे वाणिज्यिक वाहनों, तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी।
- इस नीति के तहत दी गई रोड टैक्स और पंजीकरण टैक्स में छूटों के साथ दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन के खरीददार 15000 रुपए एवं चार पहिया वाहन के खरीददार 3 लाख रुपए तक की बचत कर सकेंगे।
- कंपनियों या फर्मों द्वारा अपने कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए संचालित इलेक्ट्रिक बसों को भी करों में छूट दी गई है।

❖ सरकार ईवी (EV) पुश का समर्थन कैसे करेगी ?

- तेलंगाना सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए शहरों और कस्बों के साथ-साथ राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता कंपनी के साथ काम करेगी।
- तेलंगाना सरकार 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को स्कैप करने के लिए एक नीति बनाने की तैयारी कर रही है।
- ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में संचालित लगभग 3000 से अधिक बसों को विभिन्न चरणों में इलेक्ट्रिक बसों में बदल जाएगा।

❖ विशेष ईवी (EV) नीति क्यों ?

- तेलंगाना सरकार की विशेष ईवी नीति “हरित राज्य में स्वच्छ हवा” योजना के तहत तेलंगाना में विशेष रूप से हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने पर जोर दे रही है।

❖ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की नीति वाले अन्य राज्य :

- वर्तमान में भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी EV नीतियां हैं, जो EV इकोसिस्टम प्रदान करने के अलावा EV क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- अपनी EV नीति वाले कुछ राज्य इस प्रकार हैं –

- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार (2023), चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र (2021), मध्यप्रदेश, मेघालय, दिल्ली (2020), उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

❖ केंद्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2024 :

- केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2024 यानि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS, Electric Mobility Promotion Scheme) 1 अप्रैल 2024 को लागू की गई थी।
- शुरुआत में इसे 2 महीने के लिए लागू की गई थी, जिसे बाद में दो महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक लागू कर दिया गया था।
- 500 करोड़ रुपए की EMPS योजना को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को तेजी से अपनाने और ग्रीन मोबिलिटी के साथ-साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इको सिस्टम को तेजी से बढ़ावा देना है।

Result Mitra